अनुसूचित जन जातियों के शिक्षित बेरोजगार

3251. **श्री बेकल "उत्साही"** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित बेरोज़गारों की राज्यवार संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) क्या सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के सभी शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाई है ।

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) 31.12.89 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर शिक्षित (मैट्रिक और ऊपर) अनुसूचित जनजाति के नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, की संख्या संलग्न विवरण के अनुसार है। (नीचे देखिये)

(ख) केन्द्रीय और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षण है। छात्रवृत्ति, होस्टल, आश्रम स्कूलों आदि को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वियन किया जा रहा है ताकि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति विभिन्न सेवाओं को प्रतियोगिता में बैठने के लिए शिक्षा प्राप्त कर सकें । प्रतियोगी एवं प्रवेश परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को तैयार करने के लिए अध्यापन एवं प्रशिक्षण सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं । उन्हें स्वरोजगार के लिए तैयार करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है ।

विवरण

31-12-1989 के अन्त में देश के बेरोजगार कार्यालयों में चालू रजिस्टर पर शिक्षित (मैट्रिक एवं ऊपर) अनुसूचित जनजाति के नौकरी चाहने वालों की संख्या

(हजारों में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित प्रदेश	चालू रजिस्टर पर संख्या
1	2	3
	राज्य	
1	आंध्र प्रदेश .	23.3
2	अरुणाचल प्रदेश .	0.2
3	असम . .	46.6
4	बिहार . .	94.7
5	गोवा . .	X
6	गुजरात . .	44.0
7	हरियाणा .	0.3
8	हिमाचल प्रदेश .	7.9
9	जम्मू और कश्मीर .	0.6
10	कर्नाटक . .	7.5
11	केरल . .	5.2
12	मध्य प्रदेश .	76.2
13	महाराष्ट्र .	50.6
14	मणिपुर . .	25.5
15	मेघालय . .	7.5
16	मिजोरम . .	11.0
17	नागालैंड . .	14.5
18	उड़ीसा . .	22.3
19	पंजाब . .	X
20	राजस्थान .	26.4
21	सिक्किम .	†
22	तमिलनाडु .	2.8
23	त्रिपुरा .	2.1
24	उत्तर प्रदेश .	4.0
25	पश्चिम बंगाल .	31.5

संघ शासित प्रदेश

26	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह .	0.1
27	चंडीगढ़ . .	0.1
28	दादर और नगर हवेली	0.5
29	दिल्ली . .	3.4
30	दमन और दीव .	
31	लक्षद्वीप . .	1.7
32	पांडिचेरी .	0.1
	योग	510.5

टिप्पणी :–

†1. इस राज्य में कोई रोज़गार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

*2. 50 से कम आंकड़े।

**3. आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

4. हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खायें।

Salaries of the Management of UNI Lever India Ltd.

3252. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the salaries of the Managers in Uni Lever Companies in India have been more or less harmonised;

(b) whether Government are aware that hundreds of workers working for Uni Lever products in India at different places in the country are getting below the prescribed minimum wages or barely at the minimum level; and

(c) if so, the details thereof and the steps Government propose to take to remove such anomalies?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SING GHATOWAR): (a) The remuneration, including salary of the executives/officers other than Managing Director/wholetime Directors of the companies registered under the Companies Act, 1956 is not regulated by that Act. Each Company is free to determine remuneration of its executives/officers in accordance with its policies/regulations.

(b) and (c) No such case has come to the notice of the Government. However, as and when anomalies of such nature are noticed, inquiries are made and employers are persuaded to remove them, by the respective State Govts./U.T. Administrations as they are the appropriate Governments for fixation, revision and enforcement of minimum wages under the Minimum Wages Act, 1948. The Central Government have been impressing upon the State Governments from time to time regarding the urgent need for the effective enforcement of the provisions of the Minimum Wages Act throngh various National Tripartite bodies like the Indian Labour Conference and State Labour Ministers' Conference etc.

Weak safety measures of Gaziabad unit of Hindustan Lever Limited

3253. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an explosion took place in Ghaziabad factory of Hindustan Lever on 17th October, 1991 where a worker was hospitalised for a number of days on account of injuries;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the Hindustan Lever Mazdoor Sabha had filed complaints on aicount of laxity of safety measures at the Ghaziabad unit a number of times; and

(d) if so, the action taken thereon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SING GHATOWAR): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.